न्यायालय सिविल जज (सी0 डि0), आगरा
सिविल वाद वाद संख्या 337/2025
अनीता गौतम बनाम रविन्द्र सिंह आदि।

दिनांकः12–08–2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदिका बजरिए विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 4ग पर सुना तथा आदेशार्थ पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 4ग

प्रार्थनापत्र 4ग मय शपथपत्र 5ग आवेदिका की ओर से आदेश 9 नियम 4 सी0 पी0 सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 14–07–2025 को तेज बारिश होने के कारण प्रार्थिया अपने निवास नई दिल्ली से आगरा न्यायालय में हाजिर नहीं हो सकी थी तथा न ही अपने अधिवक्ता को सूचित कर सकी थी जिसके कारण मा० न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद को दिनांक 14–07–2025 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। आवेदिका द्वारा याचना की गयी है कि सिविल वाद में पारित आदेश दिनांकित 14–07–2025 को निरस्त कर दिया जाये।

संलग्न सिविल वाद वाद संख्या–98/2022 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा, दिनांक 14–07–2025 को उक्त वाद को उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया गया था। न्यायालय की राय में प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया है एवं उनके द्वारा जानबूझकर कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 12–08–2025 को प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय प्रतिपादित विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारणा की गयी है कि वाद का निस्तारण उभय पक्ष को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् ही गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिये।

मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 4ग, स्वीकार किया जाता है। सिविल वाद संख्या 98/2022, में पारित आदेश, दिनांकित 14–07–2025 अपास्त करते हुए, सिविल वाद संख्या 98/2022, को अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित किया जाता है। सिविल वाद संख्या–98/2022 , की पत्रावली मूल नंबर पर कायम होकर अग्रिम कार्यवाही हेतु, दिनांक 07–09–2026 को पेश हो।

(अचल प्रताप सिंह)
सिविल जज (सी0 डि0),
आगरा